



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27434

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1786 वर्ष 2026

अर्चना शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुणेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश कुमार सिंह चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने और उस संबंध में कथन करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेना चाहते हैं।
2. तदनुसार, रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"